



भारत सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change  
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5<sup>th</sup> Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025  
Email: (Env.) m\_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefolk@gmail.com

पत्र सं० 8 बी/राज०/06/35/2015/एफ.सी. 1824

दिनांक: 15.02.2018

सेवा में,

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,  
वन विभाग, अरण्य भवन,  
झालना इंस्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर, राजस्थान

**Online Proposal No.- FP/RAJ/ROAD/10911/2015**

**विषय: Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road from Hinglot to Madnakerhi in Rajasthan in Baran Forest Division.**

सन्दर्भ: अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, राजस्थान का पत्रांक-  
एफ140/2015/एफ0सी0ए0/प्रमुवसं/590, दिनांक- 23.01.2018

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक-18.09.2015 द्वारा आवश्यक सूचना चाही गयी थी जिसकी अनुपालना आख्या अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, जयपुर के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है, जो अधुरी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना प्रस्तुत करें।

1. Item wise break-up of the forest area involved and area calculation is not given.
2. Approval of the competent authority is not given.
3. Required No objection certificate is not provided.
4. The original SOI toposheet (1:50,000 scale) of proposed land to be diverted as well as CA land has not given with proposal.
5. In proposed CA land the net suitable area for plantation as per GIS DSS analysis is 1.3 ha. only which is less than area mentioned in the proposal.

भवदीय,

(के० के० तिवारी)  
वन संरक्षक(के.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित-

1. विशेष सचिव (वन), राजस्थान सरकार, जयपुर, राजस्थान।
2. उप वन संरक्षक, बारां, राजस्थान।
3. अधिशासी अभियन्ता, सा० नि० वि०, खण्ड-छाबड़ा, राजस्थान।
4. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
5. आदेश पत्रावली।

(के० के० तिवारी)  
वन संरक्षक(के.)